कलेक्टर के टास्क को पूरा करने निगम का अमला मैदान पर, सड़क किनारे रखे मलबा पर हो रही है कार्यवाही

भिलाई नगर/ कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा लगातार नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिकारियों को सड़क बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसी तारतम्य में निगमायुक्त लोकेश चंद्राकर ने सभी जोन के आयुक्त को सड़क बाधा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं। निर्देशों के परिपालन में आज वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी चौक से एकता चौक में सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस सड़क पर व्यवसायियों के द्वारा सड़क के बाहर होर्डिंग एवं प्रचार सामग्री लगाकर सड़क बाधा किया जा रहा था जिसे आज निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने हटाने की कार्रवाई की। इसी तरह अकाश गंगा सब्जी मंडी में अवैध गुमटी को हटाने की कार्रवाई की गई। आकाशगंगा सब्जी मंडी के क्षेत्र में नालियों के ऊपर हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया। दुकानों के सामने कचरा फैलाने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई, वही डस्टबीन अनिवार्य रूप से रखकर कचरा उसी में डालने कहा जा रहा है बावजूद नही समझने वाले पर जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। शहर की सुंदरता पर दाग लगाने वालो पर कार्यवाही निश्चित है। आज अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में जोन आयुक्त पूजा पिल्ले , सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू , परमेश्वर चंद्राकर, जगन्नाथ तिवारी ने मौके पर रहकर कार्रवाई की। उल्लेखनीय है कि नाली के ऊपर अतिक्रमण होने से नाली सफाई में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही नाली में अतिक्रमण के चलते सड़क भी सकरी हो जाती है और नाली का पानी ओवर फ्लो होकर सड़क पर बहने लगता है , आने जाने वालों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही सड़क के किनारे सड़क बाधा कर अतिरिक्त निर्माण एवं प्रचार सामग्री लगे होने से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है, राहगीरों को भी परेशानियां होती हैं, शहर की सुंदरता पर भी दाग लगता है। आज वैशाली नगर क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान सड़क बाधा करने वाले एवं अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है, अतिक्रमण कर शेड निर्माण को हटाने की सूचना भी दी गई है, अन्यथा निगम दुकान संचालकों को सूचना पत्र जारी कर अग्रिम बेदखली की कार्रवाई भी करेगा।